न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 09/2019

1 शीशराम उम्र 60 साल पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 विजय सिंह उम्र 34 साल पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 प्रियंका उम्र 32 साल पत्नी विजय सिंह जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 प्रमोद देवी पुत्री स्व. दाताराम पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम सिंगनोर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 नानची देवी पत्नी स्व. दाताराम जाति जाट निवासी बास माना तन भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस/आवेदकगण

3 परमेश्वरी पुत्री हरदेवाराम पत्नी रूघवीर जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
4 सरिया देवी पुत्री हरदेवाराम पत्नी बशेशरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस/वारिसान हरदेवा

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ.धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश दिनांक 02.11.2018 पारित न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी प्रमोद देवी
बनाम हरदेवाराम वगै. प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं.
210/2017

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 20/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 210/2017 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 179, 180/1, 180/2, 205, 234, 264, वाके ग्राम बासमाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि की बाबत पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ विपक्षी संख्या 1 हरदेवाराम को प्राप्त हुई है। जो हरदेवाराम की स्व अर्जित सम्पत्ति है। जिसमें रेस्पोडेन्ट/आवेदिकागण या किसी अन्य का कोई पैत्रिक हक हिस्सा किसी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकार का नहीं है न ही किसी अन्य को कोई खातेदारी अधिकारी प्रोदभूत होते है चूंकि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक नहीं होकर हरदेवाराम की स्व अर्जित सम्पति है जिसे उसने अपीलान्टस संख्या 2 व 3 तथा हरकेश व दिनेश पुत्रगण शीशराम को जरिये पंजीकृत विलेख उपहार में दे दी है। उपहार की दिनांक से वादग्रस्त भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार अपीलान्टस संख्या 2 व 3 तथा हरकेश व दिनेश पुत्रगण शीशराम चले आ रहे है। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस/आवेदिकागण संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि में कोई भी हक हिस्सा किसी किस्म का नहीं है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य को अनदेखा कर वादग्रस्त भूमि को पैत्रिक भूमि मानकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.11.2018 पारित कर दिया है जो किसी भी सूरत में स्थिर रहने योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टस संख्या 2 व 3 तथा हरकेश व दिनेश पुत्रगण शीशराम खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। रेस्पोडेन्टस/आवेदकगण द्वारा पंजीकृत दान पत्र को चुनौती नहीं दी गई ह। रेस्पोडेन्टस/आवेदिकागण न तो वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड टिनेन्ट है, न ही वादग्रस्त भूमि पैत्रिक सम्पति है तथा न ही रेस्पोडेन्टस/आवेदिकागण वादग्रस्त भूमि के किसी भाग पर काबिज है। उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टस आवेदिकागण का प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्टस व अन्य विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने का आदेश पारित करने में भारी भुल की है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख के अवलोकन मात्र से ही एक प्रथम दृष्टया दृष्टिगोचर होता है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 हरदेवाराम की स्व–अर्जित सम्पत्ति है परन्तु विचारण न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्टस/आवेदिकागण के वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही अपना हक व हिस्सा होने के आधारहीनप अभिकथन पर विश्वास कर अपीलाधीन निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 02.11.2018 पारित करने में भारी कानूनी भुल की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इस महत्वपूर्ण विधिक प्रावधान की अनदेखी कर विचारण न्यायालय ने रिकार्डेड टिनेन्ट हरदेवाराम सहित अन्य विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर ऐसी कोई सामग्री या साक्ष्य नहीं थी जिससे आवेदिकागण

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का प्रथम दृष्टया मामला हो एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को विक्रय या वेस्ट डेमेज कर रहे हो। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार को लेखबद्ध किये ही अपीलाधीन निषेधाज्ञा आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने के पश्चात दिनांक 22.11.2018 को विपक्षी संख्या 1 हरदेवाराम का देहान्त हो चुका है अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के रूप में हरदेवाराम के विधिक वारिसान पूर्व से ही पत्रावली में रिकार्ड पर है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 स्व. हरदेवाराम की पुत्रियां है। जिन्हें हरदेवाराम के विधिक वारिसान के तौर पर अपील में पक्षकार बनाया गया है। अपीलान्टस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.11.2018 को अपास्त फरमाने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम बासमाना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 179, 180/1, 180/2, 205, 234, 264 किता 6 कुल रकबा 4.77 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है। विवादित भूमि में आवेदिकागण का हिस्सा 2/9 है। विवादित भूमि में आवेदिकागण व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 का जन्म से ही एक हिस्सा है। उक्त वर्णित भूमि को स्व. दाताराम व अनावेदक नम्बर 2 आधी आधी काश्त करते थे। दिनांक 03.11.2017 को दाताराम का देहान्त हो गया है। अनावेदक नम्बर 1 आवेदिका नम्बर 1 का सगा दादा तथा आवेदिका नम्बर 2 का ससूर है। अनावेदक नम्बर 1 का अनावेदक संख्या 2 लगायत 4 ने बहका रखा है तथा दाताराम के देहान्त के बाद आवेदिकागण को पैत्रिक भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अनावेदक संख्या 1, 3, 4 आवेदिकागण के हक व हिस्से की भूमि को वेस्ट एवं डेमेज करने तथा उसमें स्थित आवेदिकागण के मकानों को तोड़ने पर अमादा है। आवेदिकागण अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। आवेदिकागण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदिकागण के पक्ष में होने के कारण अपूरणीय क्षति भी आवेदिकागण को ही कारित होती है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर पक्षकारों के मध्य वाद के निस्तारण से पूर्व वाद बाहुल्यता नहीं होने, विवादित भूमि वेस्ट डेमेज नहीं होने के तथ्य को

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दृष्टिगत रखते हुए विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन कियां। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदिका का कथन रहा है कि ग्राम बासमाना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 179, 180/1, 180/2, 205, 234, 264 किता 6 कुल रकबा 4.77 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है। विवादित भूमि में आवेदिकागण का हिस्सा 2/9 है। विवादित भूमि में आवेदिकागण व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 3 का जन्म से ही एक हिस्सा है। उक्त वर्णित भूमि को स्व. दाताराम व अनावेदक नम्बर 2 आधी आधी काश्त करते थे। दिनांक 03.11.2017 को दाताराम का देहान्त हो गया है। अनावेदक नम्बर 1 आवेदिका नम्बर 1 का सगा दादा तथा आवेदिका नम्बर 2 का ससूर है। अनावेदक नम्बर 1 का अनावेदक संख्या 2 लगायत 4 ने बहका रखा है तथा दाताराम के देहान्त के बाद आवेदिकागण को पैत्रिक भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अनावेदक संख्या 1, 3, 4 आवेदिकागण के हक व हिस्से की भूमि को वेस्ट एवं डेमेज करने तथा उसमें स्थित आवेदिकागण के मकानों को तोड़ने पर अमादा है। आवेदिकागण अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। आवेदिकागण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदिकागण के पक्ष में होने के कारण अपूरणीय क्षति भी आवेदिकागण को ही कारित होती है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर पक्षकारों के मध्य वाद के निस्तारण से पूर्व वाद बाहुल्यता नहीं होने, विवादित भूमि वेस्ट डेमेज नहीं होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। पक्षकारो के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना शेष है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर